न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 118/2017

अनवान :

1. अमरसिह पुत्र किशनसिंह जाति राजपुत निवासी बाम्बलवास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– **प्रार्थी**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
2. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (वर्तमान में परिवर्तित भारतीय स्टेट बैंक) शाखा भादरा जरिए शाखा प्रबंधक।
3. भारतीय स्टेट बैंक शाखा छानीबड़ी जरिए शाखा प्रबंधक।

– **अप्रार्थीगण**

आवेदन पत्र बाबत रिकार्ड में दर्ज रहन को दुरूस्त करवाने अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित : वकील श्री पवन सिहाग – प्रार्थी

पेरोकार राज – अप्रार्थी सं. 1

वकील श्री राजेन्द गोयल – अप्रार्थी सं. 2

आदेश **दिनांक :** 12.9.18

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि रोही मौजा चक 1 बीबीएम के खाता संख्या 62/60 के मु.न. 30, 31, 33, 34 की कुल 11.220 हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम 215–2/3 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि दर्ज है।

प्रार्थी ने अपनी उपर वर्णित भूमि पर अप्रार्थी सं. 2 से कृषि ऋण लिया था एवं प्रार्थी द्वारा उक्त ऋण प्राप्त करते समय प्रार्थी की कृषि भूमि पर अप्रार्थी सं. 2 ने अपना उक्त ऋण बाबत भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 के राजस्व रिकार्ड में प्रथम प्रभार दर्ज करवाया था। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा राजस्व रिकार्ड में प्रथम प्रभार दर्ज करते समय अप्रार्थी सं. 2 की बजाऐ अप्रार्थी सं. 3 का नाम दर्ज कर दिया जो एक लिपिकीय भूल है। उक्त भूल सदभावी है परन्तु अप्रार्थी सं. 2 बजाऐ प्रार्थी की कृषि भूमि पर अप्रार्थी सं. 3 का नाम दर्ज रहने से प्रार्थी के हितो पर विपरीत असर पड़ता है एवं कुठाराघात हो रहा है। अतः प्रार्थी अपनी उपर वर्णित कृषि भूमि के राजस्व मं अप्रार्थी सं. 3 के नाम दर्ज प्रथम प्रभार के स्थान पर अप्रार्थी सं. 2 का नाम जरिए संशोधन दुरूस्त करवा पाने का मजाज कानूनी है।

लैण्ड होल्डर अप्रार्थी का यह कानूनी दायित्व है कि वह राजस्व रिकार्ड को अपटुडेट रखे और लैण्ड रिकार्ड की जमाबन्दीयात बनाने की निरन्तर प्रक्रिया है चुंकि राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर उसे दुरूस्त कर सही रिकार्ड मैनटेन करवाना प्रार्थी का कानूनी हक एवं अधिकार है।

उपखण्डअधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रार्थी ने अप्रार्थी से बमुकाम भादरा में प्रार्थी उपर वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं. 3 के नाम दर्ज प्रथम प्रभार के स्थान पर अप्रार्थी सं. 2 का नाम दर्ज कर दुरूस्त करने का निवेदन किया तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण संख्या 1 ने बाद तामील अपना जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी के आवेदन पत्र के अनुतोष को स्वीकार किया गया एवं अप्रार्थी सं. 2 ने अपना जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी सं. 3 का जवाब समय दिये जाने के उपरान्त नही देने पर बन्द किया गया।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल 6(1) की फोटो प्रति, इन्तकाल 1 बीबीएम के खाता संख्या 333 की फोटो प्रति, जमाबंदी 1 बीबीएम के खाता संख्या 333 नक्शा की प्रति, गिरदावरी फसल की प्रमाणित प्रति पेश की।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई।

पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी ने रोही मौजा चक 1 बीबीएम के खाता संख्या 62/60 के मु.न. 30, 31, 33, 34 की कुल 11.220 हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम 215–2/3 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि दर्ज में अप्रार्थी सं. 1 द्वारा राजस्व रिकार्ड में प्रथम प्रभार दर्ज करते समय अप्रार्थी सं. 2 की बजाऐ अप्रार्थी सं. 3 का नाम दर्ज कर दिया जो एक लिपिकीय भूल को दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी ने जो नकल 6(1) की फोटो प्रति, इन्तकाल 1 बीबीएम के खाता संख्या 333 की फोटो प्रति, जमाबंदी 1 बीबीएम के खाता संख्या 333 नक्शा की प्रति, गिरदावरी फसल की प्रमाणित प्रति पेश की जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का 6(1) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर जो वर्तमान में परिवर्तित भारतीय स्टेट बैंक भादरा के नाम जारी हुआ था, परन्तु हल्का पटवारी व तहसीलदार भादरा ने शाखा भादरा के स्थान पर शाखा छानीबड़ी का अंकन किया जो कि लिपिकीय त्रुटि व लापरवाही है। अप्रार्थीगण संख्या 2 ने अपने जवाब में प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 व 5 के लिए ''स्वीकार नही'' लिखा है मगर उसके लिए कोई कारण का स्पष्ट अंकन नही किया है।

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा रोही मौजा चक 1 बीबीएम के खाता संख्या 62/60 के मु.न. 30, 31, 33, 34 की कुल 11.220 हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम 215–2/3 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि में अप्रार्थी सं. 3 भारतीय स्टेट बैंक ऑफ शाखा छानीबड़ी के नाम दर्ज प्रथम प्रभार के स्थान पर अप्रार्थी सं. 2 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (वर्तमान में परिवर्तित भारतीय स्टेट बैंक) शाखा भादरा का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

आदेश आज दिनांक 12.9.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी